GOVT ARTS & COMMERCE GIRLS COLLEGE RAIPUR

Email ID: artcommerce.college@gmail.com
Website: http://govtgirlscollegedevendranagar.ac.in/
Contact: +917714240354

Criteria-7Institutional Values and Best Practices

Metric No.	7.1 Institutional Values and Social Responsibilities	Documents enclosed
7.1.1	**7.1.1 Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity during the last five years**	• Compiled document containing measures like ➢ common rooms ➢ lecture on gender and its legal aspects ➢ CCTV cameras for monitoring of activities ➢ Awareness programs for women ➢ Women harassment problem and legal solution

Principal
Principal
Govt. Arts and Commerce Girls College
Devendra Nagar, Raipur (C.G.)

Govt Arts and Commerce Girls College Raipur

7.1.1 Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity during last 5 years

एवं
वाणिज्य कन्या
रायपुर

Guard in Main Entrance

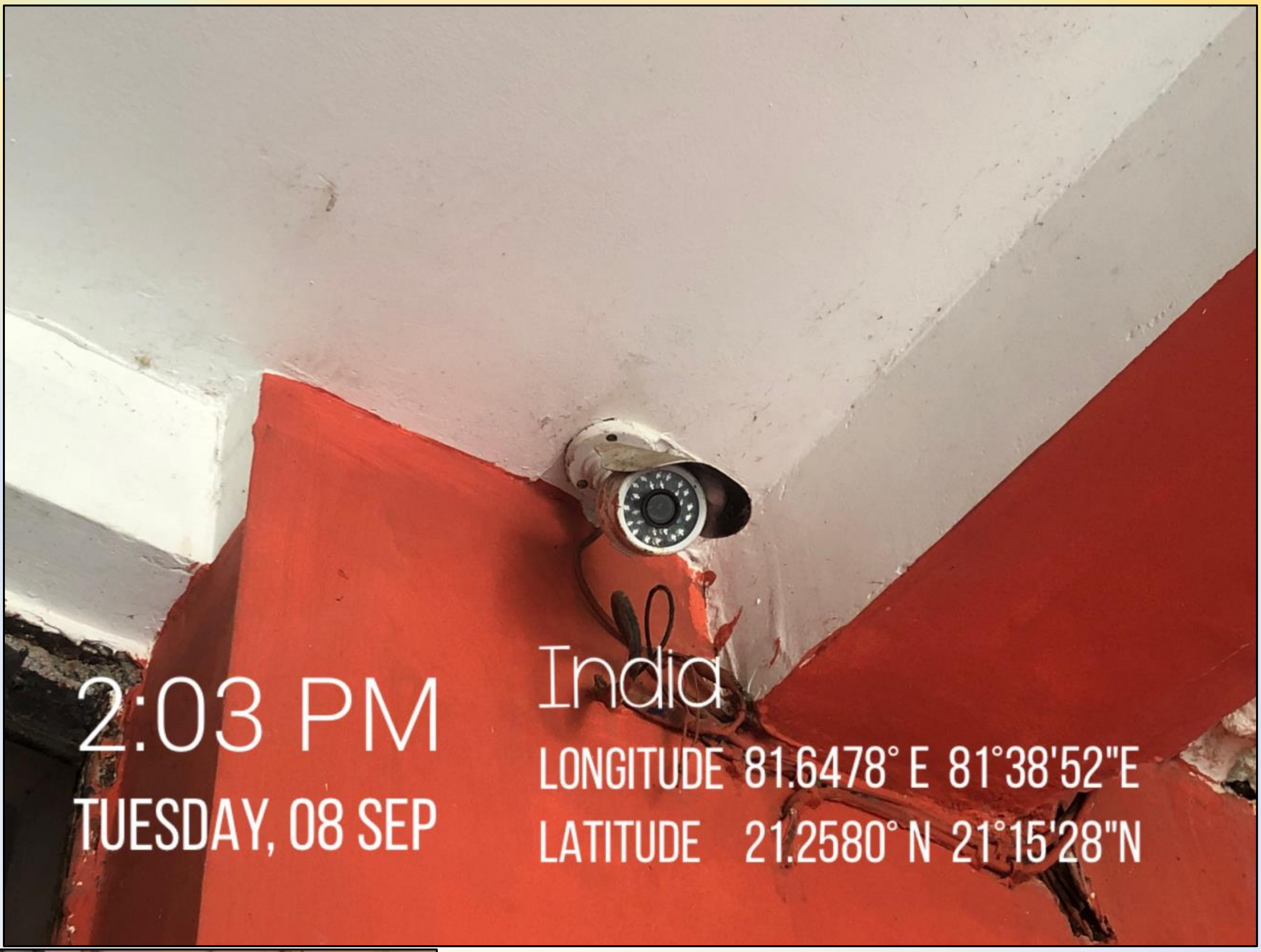
2:03 PM
TUESDAY, 08 SEP
India
LONGITUDE 81.6478° E 81°38'52"E
LATITUDE 21.2580° N 21°15'28"N

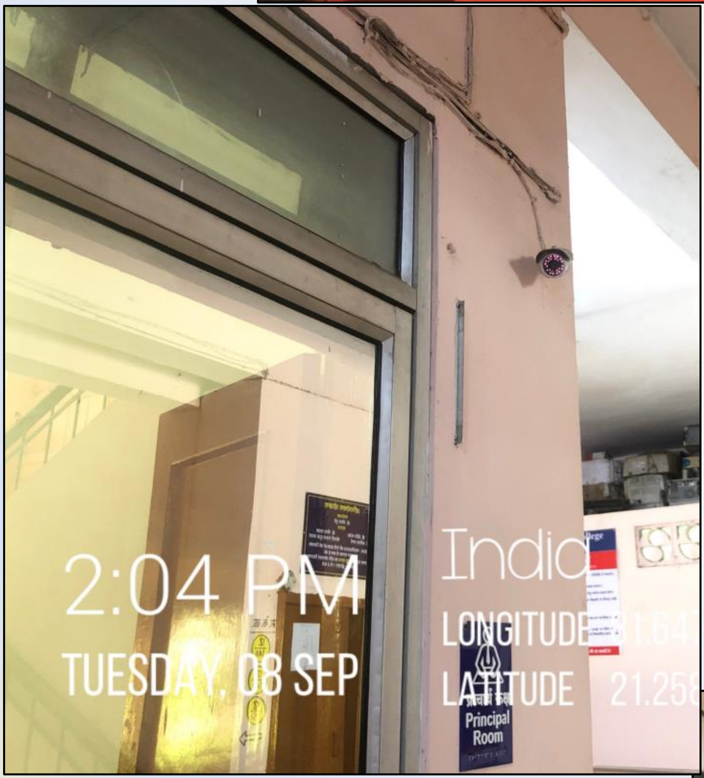
2:04 PM
TUESDAY, 08 SEP
India
LONGITUDE
LATITUDE
Principal Room

CCTV Camera

TUESDAY, 08 SEP
India
LONGITUDE 81.6479° E
LATITUDE 21.2580° N

Lecture: Legal aspects of Gender equity

Organized by Hindi Department,
Date: 10-01-2020, Participants: 70

// निरीक्षक, थाना प्रभारी, थाना देवेन्द्र नगर जिला – रायपुर (छ.ग.)//

क./देवेन्द्र नगर/राय/0-1/2020 दिनांक :– 10/01/2020

प्रति,

प्राचार्य महोदय,
सिन्धू कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय देवेन्द्र नगर रायपुर छ0ग0।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर

विषय :– मान.न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जेएमएफसी कृष्ण मुरारी शर्मा एवं माननीय कु0 मंजूषा टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर छ0ग0 के द्वारा विधिक प्राधिकरण संबंधी जानकारी देने हेतु।

........00..........

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन हैं कि माननीय न्यायधीश महोदय कृष्ण मुरारी शर्मा जेएमएफसी रायपुर एवं माननीय न्यायधीश मंजूषा टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर छ0ग0 के द्वारा दिनांक 11.01.2020 को आपके महाविद्यालय में विधि संबंधी जानकारी छात्र–छात्राओ को दिये जाने हेतु कार्याशाला लगाया जाना हैं।

अतः आपसे निवेदन हैं कि दिनांक 11/01/2020 को 11:00 बजे विधी संबंधी जानकारी के लिए चंद घंटे समय देने का कष्ठ करे ।

थाना प्रभारी
थाना देवेन्द्र नगर
जिला–रायपुर छ0ग0

COUNSELLING

COMMON ROOM

1:41 PM
MONDAY, 31 AUG
India
LONGITUDE 81.6472° E 81°38'49"E
LATITUDE 21.2589° N 21°15'31"N

Suicide Prevention Talk by Psychology Department

Date: 10/09/19

के निर्देश दिए।

वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर आयोजित की परिचर्चा

रायपुर (चैनल इंडिया)। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, इस उपलक्ष्य मे बीते दिन कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेन्द्र नगर रायपुर में डॉ उषा किरण अग्रवाल के निर्देशन में एक परिचर्चा आयोजित की गई। जिसमें डॉ संध्या वर्मा, डॉ मीना पाठक, डॉ कल्पना झा और डॉ कविता शर्मा ने बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी और अपने अनुभव साझा किए। छात्राओं ने भी अपने विचार रखे एवं अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। वाद- विवाद व तर्क-वितर्क के साथ आत्महत्या से जुड़े मुद्दो पर चर्चा की। बीच-बीच मे एक्सपर्ट्स ने बहुत ही सुंदर तरह से परिचर्चा को सार्थक बनाया व छात्राओ को संबन्धित मुद्दे पर जागरूक किया। नेहा श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ अंजना पुरोहित ने किया।

Talk by Nidhi Nathiyal on Sexual Harassment Organized by Psychology Department

Date: 17-09-19

लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध सक्रियता के 16 दिन
एक वैश्विक अभियान
दिनांक 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2018
शा.कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय
देवेन्द्र नगर,रायपुर छ.ग.
मुहिम "बनो नयी सोच" अभियान से जुड़े मिस्ड कॉल दें :0970008955
लिंग आधारित हिंसा/महिला हिंसा होने पर
टोल फ्री फोन नं.181को कॉल करें तथा सखी वन स्टॉप सेंटर में सहायता प्राप्त करें।

लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध सक्रियता के 16 दिन
एक वैश्विक अभियान
दिनांक 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2018
शा.कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय
देवेन्द्र नगर,रायपुर छ.ग.

Department of Home Science

Govt. Arts and Commerce Girls College Devendra Nagar, Raipur (C.G)

Name of the Event- "Awareness Programme for Women" associated with Lioness Club Raipur.

Date: 02/08/2017

Chief Guest- Lioness Dr. Kamal Verma

Speaker- Dr. Rimjhim Shrivastava

Dr. Raghvendra Singh

No. Of Participants- 70

Lecture: Gender equity on education

21 December 2015, Participants: 50

महिला उत्पीड़न – समस्या एवं समाधान

राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई द्वारा आयोजित

दिनांक : 30.06.2020

समय : शाम 07:00 बजे से रात 08:00 बजे तक

स्थान : महाविद्यालय भवन, परिसर एवं कक्षायें

अतिथि वक्ता एवं सलाहकार : श्रीमती भारती राठौर

आयोजक : डॉ. मनीषा गर्ग (प्रभारी, रा.से.यो.)
डॉ. चित्रा देशपांडे
डॉ. चन्द्रकांता पांडे
डॉ. कल्पना झा
डॉ. अंजना पुरोहित
डॉ. आशा दुबे

तकनीकी सहयोग : डॉ. कविता शर्मा

मार्गदर्शक एवं संरक्षक: डॉ. उषाकिरण अग्रवाल (प्रभारी प्राचार्य)

शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय,
देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

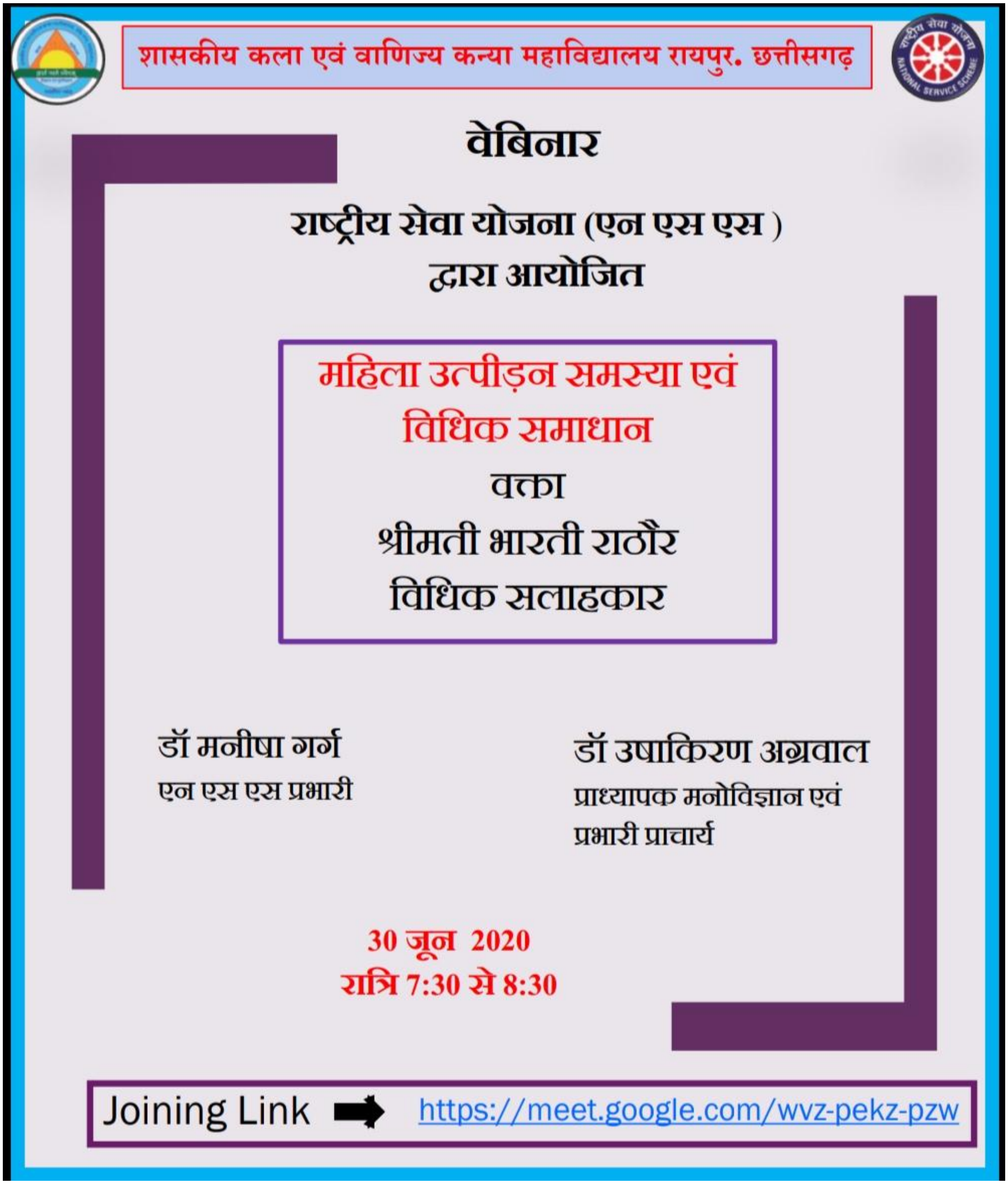

राष्ट्रीय सेवा योजना

शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय,

देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा "महिला उत्पीड़न समस्या एवं विधिक समाधान" पर एक वेबीनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉ. उषाकिरण अग्रवाल सहित कार्यक्रम प्रभारी डॉ. मनीषा गर्ग उपस्थित रहे। तकनीकी सहयोग आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. कविता शर्मा का रहा। महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉ. उषाकिरण अग्रवाल ने कार्यक्रम प्रारंभ में हमारे समाज में प्रारंभ से महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में वृहत उपनिषद, यजुर्वेद, ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए बताया कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सशक्त थी। पौराणिक काल में भी स्त्री शक्ति स्वरूपा मानी जाती थी। बाइबल के भी जेनेसिस 21, 22 और 23 का जिक्र करते हुए बताया कि प्रारंभ में महिलाओं को समानता का ही अधिकार था। 11वीं से 19वीं शताब्दी औद्योगिक समाज के कारण स्त्रियों की दशा खराब होती गई। स्त्रियों को अपनी मौलिक अधिकार से भी वंचित होना पड़ा। जबकि समाज में कर्तव्यों तथा अधिकारों में स्त्रियों का बराबर अधिकार होना चाहिए। देश तथा काल के अनुसार स्त्रियों के अलग–अलग अधिकार रहे हैं। आज के वेबीनार की प्रमुख वक्ता अधिवक्ता संघ की सचिव तथा अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ की सचिव श्रीमती भारती राठौर रही। उन्होंने इस बात को मुख्य रूप से बताया कि महिलाओं के साथ किया गया कौनसा व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है तथा किन धाराओं के अंतर्गत उन्हें न्याय मिल सकता है। गलत स्पर्श के लिये धारा 354, विवाह में दहेज प्रताड़ना के लिए धारा 498, बलात्कार के लिए धारा 376, इंटरनेट पर अपनी सुरक्षा व गोपनीयता का अधिकार के तहत बिना सहमति के कंटेंट अपलोड करने में धारा 509, भरण–पोषण भत्ते के लिए धारा 136 आदि प्रमुख रूप से जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि कौन–कौन से व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा उनके लिए महिलाएं कानूनी सहायता ले सकती हैं। दफ्तर में पुरूष

सहकर्मी के द्वारा किया गया गलत व्यवहार, व्यक्तिगत जीवन में भी छेड़छाड़ के लिए कानूनी सहायता, कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित करने के लिए F. I. R.*करा सकती ळें महिलाओं को जीरो* F. I. R.*का भी अधिकार है। पिता की संपत्ति में अधिकार, विशेष परिस्थितियों में माता–पिता से भरण–पोषण का अधिकार, घरेलू हिंसा के समय बाहर ना जाने पर कोई भी नौकर या पेपर वाले के हाथ भी* F. I. R. *दे सकती हैं। एडवोकेट भारती राठौर जी ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर सखी सेन्टर से भी सहायता ली जा सकती है जो कि निःशुल्क होती है। वक्तव्य समाप्ति के पश्चात् उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों के जवाब दिए। इस अवसर पर महिला उत्पीड़न पर मनोविज्ञान से संबंधित भी कुछ त्वरित प्रश्न किए गए। इसमें मुख्य रूप से लड़के तथा लड़कियों के लालन–पालन में अन्तर संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए डॉ. उषाकिरण अग्रवाल ने बताया कि हमारी सामाजिक संरचना इसके लिए जिम्मेदार है। परिवार में माता की प्रारंभ से इन सब बातों का ध्यान रख सकती हैं। दफ्तर तथा परिवार में षडयंत्र का हिस्सा ना बनने की सलाह दी गई हर स्थिति में दृढ़ता से महिलाओं को सामना करना होगा। इस अवसर पर अनेक छात्राएँ तथा महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक उपस्थित रहे।*

राष्ट्रीय सेवा योजना
शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय,
देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सशक्त थी

◆ नवभारत रिपोर्टर | रायपुर.
www.navabharat.org

वेबिनार

◆ **महिला उत्पीड़नः समस्या एवं विधिक समाधान पर वेबिनार**

◆ **देवेंद्रनगर कन्या महाविद्यालय का आयोजन**

शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्रनगर द्वारा महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से 'महिला उत्पीड़नः समस्या एवं विधिक समाधान' पर वेबिनार आयोजित किया गया. शुरूआत में महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉ. उषा किरण अग्रवाल ने समाज में प्रारंभिक काल से महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में चर्चा की. उन्होंने उपनिषद, यजुर्वेद, ऋग्वेद का उदाहरण देते बताया कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सशक्त थी. पौराणिक काल में भी स्त्री शक्ति स्वरूपा मानी जाती थी. उन्होंने बताया- 11वीं से 19वीं शताब्दी तक औद्योगिक क्रांति के कारण स्त्रियों की दशा खराब होती गई. उन्हें अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित होना पड़ा. प्रमुख वक्ता थीं महिला अधिवक्ता संघ और अखिल भारतीय अधिवक्ता संस्था की सचिव भारती राठौर. उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी देते बताया कि महिलाओं के साथ किया गया कौन सा व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है तथा किन धाराओं के अंतर्गत उन्हें न्याय मिल सकता है. एडवोकेट भारती राठौर ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सखी सेंटर से भी सहायता ली जा सकती है जो निःशुल्क है. वक्तव्य समाप्ति के बाद उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों के जवाब दिए.

लड़के-लड़कियों के लालन-पालन में अंतर संबंधी सवाल का जवाब देते हुए डॉ. उषा किरण ने बताया कि हमारी सामाजिक संरचना इसके लिए जिम्मेदार है. परिवार में माता ही प्रारंभ से इन सब बातों का ध्यान रख सकती है.

राष्ट्रीय सेवा योजना
शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय,
देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

वेबिनार में डॉ. उषा किरण ने कहा-

स्त्री हर काल में सशक्त रही 11-19वीं सदी में बिगड़ी दशा

रायपुर | महिलाएं हर काल में सशक्त रहीं। ऋगवेद, यजुर्वेद और उपनिषदों में आपको महिला सशक्तिकरण के कई उदाहरण मिल जाएंगे। बाइबिल में भी महिलाओं को समानता का अधिकार था। इनकी दशा 11वीं से 19वीं सदी के बीच औद्योगिक समाज के चलते बिगड़ी। देवेंद्र नगर स्थित कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. उषा किरण अग्रवाल ने बुधवार को वेबिनार में यह बातें कही। कार्यक्रम प्रभारी डॉ मनीषा गर्ग थीं। तकनीकी सहयोग डॉ कविता शर्मा ने किया। प्रमुख वक्ता महिला अधिवक्ता संघ की सचिव भारती राठौर थीं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ किया गया कौन सा व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना
शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय,
देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

Govt. Arts & Commerce Girls College Devendra Nagar, Raipur (C.G.)

CERTIFICATE

This is to certify that

Mrs Bharti Rathor

has participated as Resource person in Webinar on " Sexual Harassment of Women and Legal Solutions" organized by NSS, Govt Arts and Commerce Girls College Devendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh.

Dr. Manisha Garg
NSS Incharge

Dr. Ushakiran Agrawal
Mentor & I/C Principal

30 June 2020

Govt. Arts & Commerce Girls College Devendra Nagar, Raipur (C.G.)

CERTIFICATE

This is to certify that

ICHCHHA DEVI PANDEY

has participated in Webinar on " Sexual Harassment of Women and Legal Solutions" organized by NSS, Govt Arts and Commerce Girls College Devendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh.

Dr. Manisha Garg
NSS Incharge

Dr. Ushakiran Agrawal
Mentor & I/C Principal

30 June 2020

राष्ट्रीय सेवा योजना
शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय,
देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 31.05.2018 को विधायक श्री श्रीचंद सुंदरानी एवं प्राचार्य डॉ. संध्या वर्मा के कर कमलों द्वारा महाविद्याल में कॉमन रूम बनाने के लिये भूमिभूजन किया गया।